बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सकारण आदेश

संचिका सं0––2/कोर्ट 30–23/2016गृ0आ0............../श्री अनुपम कुमार, उप समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), पटना के द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या–6719 दिनांक 29.08.2016 को रद्द करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के पद पर पाँचवे वर्ष तक के लिये प्रतिनियुक्ति को विस्तारित करने निमित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–19922/16 दिनांक 07.12.2016 को दाखिल किया गया। उक्त वाद को निष्पादित करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अपने दिनांक 21.12.2016 के न्यायादेश में निम्न आदेश पारित किया :–

"Let the Principal Secretary, Home Government of Bihar, look into Annexure-10 and 11, annexed with the writ application, which are orders granting further extension to the petitioner for a period up till 19.07.2017. In view of the two annexures, Annexure-9 may be required to be recalled or at least a fresh decision will be required to be taken.

Let such a decision be taken within a period of three weeks from the date of production of a copy of this order, which must be produced before the State authorities by 26th December, Writ application stands disposed of in terms of the above".

2. याचिकाकर्त्ता श्री अनुपम कुमार, उप समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल, भारत सरकार, नई दिल्ली ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रधान सचिव, गृह विभाग को संबोधित एक अभ्यावदेन दिनांक 23.12.2016 को समर्पित किया।

3. उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एस0आर0ई0 योजना के अन्तर्गत नक्सल गतिविधियों पर प्रभावकारी ढ़ंग से नियंत्रण हेतु कुल 23 जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के कुल 23(तेईस) पद सृजित है। इन पदों पर केन्द्र सरकार के अर्द्धसैनिक पुलिस बल के उप समादेष्टा स्तर के सुयोग्य पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के सरकार के निर्णय के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अर्द्धसैनिक बल के पदाधिकारियों की सेवाएँ बिहार सरकार को उपलब्ध कराई जाती रही है। इसी क्रम में श्री अनुपम कुमार, उप समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल भारत सरकार, नई दिल्ली की सेवा बिहार सरकार को उपलब्ध कराई गई तथा विभागीय अधिसूचना सं0–5733 दिनांक 18.07.2012 के द्वारा श्री कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), पटना के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में श्री कुमार ने दिनांक 19.07.2012 के पूर्वाह्न में अपना योगदान दिया।

4. भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0–6/8/2009-Estt-(Pay-II) दिनांक 17.06.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार की प्रतिनियुक्ति प्रथमतः तीन वर्षो के लिए की गई तथा भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञापन की कंडिका 8.2 में निहित प्रावधान के आलोक में चौथे वर्ष के लिए यानि दिनांक 19.07.2016 की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति का विस्तार विभागीय स्वीकृत्यादेश आदेशसं0 10503 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा किया गया। पुनः श्री कुमार की प्रतिनियुक्ति अवधि पॉचवे वर्ष तक के लिये विस्तारित करने हेतु विभागीय पत्रांक–3246 दिनांक 26.04.2016 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से

अनुरोध किया गया, जिसकी प्रति महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल को भी दी गई। गृह मंत्रालय, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (कार्मिक निदेशालय, नई दिल्ली) के पत्र सं0–1/59/2015/Pers/BSF/34307–12 दिनांक 17.06.2016 के द्वारा बिहार सरकार के उपरोक्त अनुरोध को अस्वीकार करते हुये गृह मंत्रालय के निम्न निर्णय को गृह विभाग, बिहार सरकार को संसूचित किया :–

In this contest, it is to inform that, proposal of BSF regarding extension of deputation period for 4th year in respect of Shri Anupam Kumar, DC of BSF with Bihar Police has been examined in Ministry of Home Affairs, in accordance with relevant rule and regulations. While examining the proposal, Ministry of Home Affairs has observed that "under which authority Shri Anupam Kumar, DC of BSF is overstaying from deputation w.e.f. 20.07.2015 as neither approval of MHA for extension of deputation tenure for 4th year nor consent/NOC of borrowing department i.e. BSF has been obtained. Moreover, as to why proposal for extension of deputation tenure for 5th year has been sent to this Ministry when approval for extension of deputation tenure for 4th year has not been obtained from MHA"

साथ ही महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त पत्र के द्वारा गृह विभाग, बिहार सरकार से अनुरोध किया कि :– Therefore, the officer is overstaying unauthorisedly in Bihar Police since 19.07.2015 and required to be deemed to have been relieved on expiry of the authorized deputation period.

5. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त निदेश एवं इसके आलोक में पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना की अनुशंसा के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6719 दिनांक 29.08.2016 के द्वारा श्री कुमार की सेवा अधिसूचना निर्गत की तिथि से इनके पैतृक संवर्ग सीमा सुरक्षा बल को वापस कर दी गई तथा पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में गत्यादेश निर्गत करने का निदेश दिया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 6231 दिनांक 30.08.2016 के द्वारा श्री कुमार का गत्यादेश निर्गत किया गया। सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के पत्र सं0–1752/अभियान दिनांक 13.10.2016 के द्वारा गृह विभाग को सूचित किया गया कि :– "अधिसूचना व गत्यादेश के अनुपालन में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटनाके पत्रांक 9590/सा.शा. दिनांक 20.09.16 द्वारा इन्हें पैतृक संवर्ग सीमा सुरक्षा बलों के लिए विरमित किया गया है, किन्तु इसके बावजूद श्री अनुपम कुमार ने प्रस्थान प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया है। ये अनाधिकृत रूप से सरकारी पिस्टल, मोबाईल फोन आदि रखे हुए है। इनका आचरण गृह विभाग, बिहार सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के आदेश की अवहेलना का परिचायक है"। पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के आलोक में विभागीय पत्र सं0–8647 दिनांक 28.10.16 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से इस संबंध में श्री कुमार को आवश्यक निर्देश जारी करने एवं श्री कुमार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

6. जहाँ तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–UO No. 159/2015Pers-III-3354919 दिनांक 02.09.2016 एवं इसके अनुक्रम में निर्गत सीमा सुरक्षा बल निदेशालय का पत्र दिनांक 06.09.2016 (रिट याचिका का अनुलग्नक 10 एवं 11), जिसके द्वारा श्री अनुपम कुमार, उप समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल का पाँचवे वर्ष (19.07.2017 तक) के लिए राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तार की स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न है, ये दोनों पत्र श्री कुमार की प्रतिनियुक्ति को समाप्त किये जाने संबंधी गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 1/59/2015 Pers/BSF/3430772 दिनांक 17.06.2016 के पत्र द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक

में राज्य सरकार द्वारा श्री कुमार की सेवा उनके पैतृक संगठन वापस करने के उपरांत प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार को विरमित कर पुलिस मुख्यालय, बिहार के स्तर से गत्यादेश निर्गत किया जा चुका है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार गत्यादेश के अनुपालन में अपना प्रभार सौंप कर अपने पैतृक संगठन में योगदान देने हेतु प्रस्थान नहीं किया है, जो अनुशासनहीनता एवं अर्द्ध सैनिक केन्द्रीय बल के पदाधिकारियों के आचरण के प्रतिकूल है। प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति एवं पैतृक संगठन में सेवा वापसी के संसूचित सरकार के निर्णय के बाद भी श्री कुमार का आचरण विशेष कर आदेश की अवहेलना के कृत्यो का दृष्टिपथ में रखते हुए इनकी पाँच वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार किया जाना जनहित एवं कार्यहित में उचित नहीं है।

अतः वर्णित स्थिति के आलेक में श्री अनुपम कुमार, उप समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल के एतद् संबधित अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव
गृह विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–2/कोर्ट 30–23/2016गृ0आ0.........375........./पटना, दिनांक 17/1/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/अवर सचिव (Pers-III), गृह मंत्रालय (Pers-III Desk), भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0– UO No. 159/2015Pers-III-3354919 दिनांक–02.09.2016 के प्रसंग में/समादेष्टा (Pers) महानिदेशक BSF (कार्मिक निदेशालय), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक नं0–10, पॉचवॉ तल्ला, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को उनके पत्र सं0–1/59/2015/ Pers/BSF दिनांक 06.09.2016 के प्रसंग में/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/श्री अनुपम कुमार, 201 श्यामकुंज अपार्टमेन्ट, तपेश्वर कॉलोनी, आरा गार्डेन रोड, पटना, बिहार 800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.17
(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव